बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–24/2016–3228 /कृ0, पटना, दिनांक 22–07–,2016

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : वर्ष 2016–17 हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम योजना मद में 4206.50 लाख (बयालिस करोड़ छः लाख पचास हजार) रू0 स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जाति के लिए 841.300 लाख रूपये (आठ करोड़ इकतालीस लाख तीस हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन वर्ष 2016–17 हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम योजना मद में 4206.50 लाख (बयालिस करोड़ छः लाख पचास हजार) रू0 स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जाति के लिए 841.300 लाख रूपये (आठ करोड़ इकतालीस लाख तीस हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य में गुणवत्ता वाले बीज की पहुंच सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों में करने एवं उसके उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं एकीकृत बीज ग्राम योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। वर्ष 2016–17 हेतु प्रस्तावित योजना कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है–

2.1 मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना

मात्रा– क्वीं0 में, राशि– लाख रू0 में

फसल	मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना		एकीकृत बीज ग्राम योजना		कुल योग	
	बीज वितरण लक्ष्य	अनुदान राशि	बीज वितरण लक्ष्य	अनुदान राशि	बीज की मात्रा	अनुदान राशि
खरीफ 2016						
धान	5085.36	155.61	90.00	1.53	5175.36	157.14
अरहर	1151.84	103.67	24.00	1.44	1175.84	105.11
मडुआ	0.00	0.00	5.00	0.13	5.00	0.13
जूट	0.00	0.00	5.00	0.25	5.00	0.25
योग	**6237.20**	**259.28**	**124**	**3.35**	**6361.20**	**262.63**
रबी 2016–17						
गेहूँ	17856.00	546.39	1000	17.00	18856.00	563.39
चना	3761.76	304.70	432	23.33	4193.76	328.03
मसूर	2485.12	201.29	240	12.96	2725.12	214.25
योग	**24102.88**	**1052.38**	**1672**	**53.29**	**25774.88**	**1105.67**
कुल योग		**1311.66**		**56.64**		**1368.30**

G:\Rajyadesh (Cabinet)\CM Crash, ISV & Seed Distribution sansodhit 20.05.16.docx

2.2 मिनीकिट योजना वर्ष 2016–17 का विवरण

मौसम	फसल एवं बीज की किस्म	बीज वितरण कुल लक्ष्य (क्वीं0 में)	अनुदान राशि
खरीफ	धान (स्वर्णा सब–1, सहभागी एवं सम्पदा)	18000	446.40

2.3 बीज वितरण कार्यक्रम वर्ष 2016–17 हेतु विवरण

मौसम	फसल एवं बीज की किस्म	बीज वितरण कुल लक्ष्य (क्वीं0 में)	योजनावार बीज वितरण लक्ष्य			राज्य योजना मद का अनुदान राशि (लाख रू0 में)
			NFSM	BGREI	राज्य योजना	
रबी	गेहूँ (प्रमाणित)	300000.00	30620	30200	239180	**2391.80**
कुल अनुदान राशि का योग (1+2+3)						**4206.50**

3. **मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना**– योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी राजस्व गांवों में किया जाना है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में धान, अरहर, गेहूँ, चना एवं मसूर के आधार/प्रमाणित बीज किसान को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित फसलों (धान, अरहर, गेहूं, चना, मसूर) के बीज उत्पादन हेतु प्रत्येक राजस्व गांव से 02 (दो) किसानों का चयन किया जायेगा। जिलावार लक्ष्य अनुसूची–1 एवं 2 में संलग्न किया गया है।

3.1 **बीज की मात्रा**– धान एवं गेहूँ के बीज आधा एकड़ क्षेत्र के लिए क्रमशः 6 कि0ग्रा0 एवं 20 कि0ग्रा0 तथा अरहर, चना, मसूर के बीज एक चौथाई एकड़ क्षेत्र के लिए क्रमशः 2 कि0ग्रा0, 8 कि0ग्रा0 एवं 4 कि0ग्रा0 उपलब्ध कराया जायेगा।

3.2 **अनुमान्य अनुदान एवं भुगतान प्रक्रिया**– योजनान्तर्गत सभी फसलों के बीज पर 90 प्रतिशत अनुदान राशि अनुमान्य है। चयनित किसानों द्वारा फसलों के बीज का क्रय पूर्ण भुगतान कर किया जायेगा। बीज क्रय के पश्चात कैशमेमो की प्रति प्रखंड कृषि पदाधिकारी को किसान द्वारा अनुमान्य अनुदान भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त अनुमान्य राशि किसान के बैंक खाता में RTGS/NEFT द्वारा भुगतान किया जायेगा।

3.3 **योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण**– जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा योजना का कार्यान्वयन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार के माध्यम से कार्यान्वित कराया जायेगा। योजना का अनुश्रवण जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4. **एकीकृत बीज ग्राम योजना**– योजनान्तर्गत चयनित किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर धान, मडुआ, जूट एवं गेहूँ, फसल के प्रजनक/आधार बीज एवं 60 प्रतिशत अनुदान पर चना एवं मसूर फसल के प्रजनक/आधार बीज उपलब्ध कराया जायेगा। एकीकृत बीज ग्राम के किसानों को अनिवार्य प्रमाणीकरण से जोड़ा जायेगा। जो बीज उत्पादित होंगे उन्हें बिहार राज्य बीज निगम द्वारा क्रय किया जायेगा। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण किया जायेगा। जिलावार लक्ष्य अनुसूची–3 एवं 4 में संलग्न किया गया है।

4.1 **बीज की उपलब्धता**– मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना में बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम से प्राथमिकता के आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। बिहार राज्य बीज निगम के पास बीज की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अन्य सरकारी बीज कम्पनियों से बीज की व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा। एकीकृत बीज ग्राम योजना में बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4.2 **राशि की उपलब्धता**– मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार एवं एकीकृत बीज ग्राम योजना मद के अनुदान राशि का आवंटन जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

4.3 **अनुदान भुगतान**– जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं एकीकृत बीज ग्राम योजना मद के बीज अनुदान मद की राशि निकासी कर लाभुक किसानों के खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

5. **मिनीकिट योजना**– योजनान्तर्गत खरीफ मौसम में बाढ़ एवं सुखारोधी धान प्रभेद के बीज का वितरण प्रभावित क्षेत्रों में किया जायेगा। बाढ़ संभावित जिलो में स्वर्णा सब–1 धान प्रभेद एवं सुखा संभावित जिलो में सहभागी एवं सम्पदा प्रभेद के धान बीज किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। जिलावार लक्ष्य अनुसूची 5 में निर्धारित की गयी है। किसान का चयन प्रखंड स्तर पर किया जायेगा। विशेष प्रभावित क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी, तदनुरूप जिला कृषि पदाधिकारी प्रखंडवार लक्ष्य का बिखंडन करेगें। चयनित किसान को 6 कि0ग्रा0 का एक पैकेट मिनीकिट के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित किसान को बीज क्रय करने पर मूल्य का 80 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में उनके बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

5.1 **बीज की उपलब्धता**– बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीज की उपलब्धता संबंधित जिलो में सुनिश्चित की जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी बिहार राज्य बीज निगम से समन्वय स्थापित कर बीज उपलब्धता किसानों के क्रय हेतु सुनिश्चित करेगें।

6. **बीज वितरण योजना**– फसलों के निर्धारित बीज विस्थापन दर प्राप्ति हेतु बीज वितरण की योजना का कार्यान्वियन किया जायेगा। वर्ष 2016–17 में गेहूँ प्रमाणित बीज वितरण की योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं BGREI योजना के अतिरिक्त राज्य योजना से निर्धारित किया गया है। राज्य योजना अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की अनुदान राशि राज्य योजना से उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य योजनान्तर्गत जिलावार लक्ष्य अनुसूची–6 में संलग्न किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं BGREI योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य से संबंधित विस्तृत सूचना उनके स्तर से जिलो को उपलब्ध करायी जायेगी। योजनान्तर्गत रबी में प्रमाणित गेहूं बीज 10 वर्ष के अदंर के प्रभेद किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रमाणित गेहूं बीज पर 10 रूपये प्रति कि0ग्रा0 की दर से अनुदान देय होगा। एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ क्षेत्र के लिए बीज क्रय करने पर अनुदान राशि उपलब्ध कराया जायेगा।

6.1 **बीज वितरण की प्रक्रिया**– योजनान्तर्गत गेहूँ बीज वितरण का योजनावार एवं श्रोतवार लक्ष्य का निर्धारण रबी 2016–17 की बीज की उपलब्धता संबंधित सरकारी बीज कम्पनियों से प्राप्त होने के बाद रबी मौसम प्रारंभ होने के पूर्व किया जायेगा एवं उसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम एवं राज्य के लिए चयनित अन्य सरकारी बीज कम्पनी/निगम/संस्थाओं द्वारा अपने अधिकृत विक्रेता के माध्यम से प्रखंड स्तर तक सुनिश्चित किया जायेगा। बीज वितरण योजना में बीज की उपलब्धता सभी सम्बद्ध सरकारी बीज कम्पनी/निगम/संस्थाओं के विक्रेता के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लक्ष्य के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

7. उपरोक्त सभी योजनाओं के कार्यान्वियन– जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिले के लक्ष्य को प्रखंडवार विखंडित कर प्रखंड कृषि पदाधिकारी को संसूचित किया जायेगा। विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला कृषि पदाधिकारी अनुदान राशि की निकासी कर संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगें। किसान अपनी इच्छानुसार संबंधित बीज कम्पनी/निगम के बीज क्रय करेगें। क्रय किये गये बीज के कैशमेमो की एक (मूल) प्रति प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगें। प्रखंड कृषि पदाधिकारी सत्यापन उपरान्त देय अनुदान की राशि किसान के खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से स्थानांतरित करेगें।

8. बीज वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत किसानों को सुगमतापूर्वक बीज उपलब्ध हो एवं अनुदान राशि DBT द्वारा उनके खाते में शीघ्र भेजा जा सके, इसके लिए कार्यक्रम से संबंधित नोट एवं किसानों को विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कैशमेमो प्रारूप की प्रति अनुलग्नक 7 के रूप में संलग्न किया गया है। तदनुरूप बीज वितरण कार्यक्रम का कार्यान्वियन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। सभी योजनाओं में बीज वितरण के पूर्व बीज के जाँच हेतु नमूना अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा तथा जांच हेतु बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जायेगा। नमूना अमानक पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी । योजना का कार्यान्वियन विभाग द्वारा निर्धारित कार्यान्वियन अनुदेश के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा। प्रशासी विभाग द्वारा कार्यान्वियन अनुदेश में यथाआवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

9. निकासी के लिए स्वीकृत 841.300 लाख रूपये (आठ करोड़ इकतालीस लाख तीस हजार रूपये) का व्यय मुख्य शीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष– 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं0–01, उपशीर्ष– 0117– बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड–P2401007890117, राज्य योजना स्कीम कोड– AGR-5015 विषय शीर्ष– 33 01 सब्सिडी में वर्ष 2016–17 में उपबंधित 1900.00 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

20/7/16

10. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक 05.07.2016 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–24/2016 के पृ0सं0– 23/टि. पर प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–24/2016 के पृ0सं0–25/टि. पर दिनांक–14.07.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम)
निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–24/2016 3228 /कृ0, पटना, दिनांक 22-07-2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–24/2016 3228 /कृ0, पटना, दिनांक 22-07-2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–24/2016 3228 /कृ0, पटना, दिनांक 22-07-2016

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–24/2016 3228 /कृ0, पटना, दिनांक 22-07-2016

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।